बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग 2—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर रहित)

शुक्रवार, तिथि 12 जनवरी, 1979

विषय-सूची

	पृष्ठ
गैर-सरकारी संकल्प :	
(क) राज्य के 'लॉ ऐंड आर्डर' की स्थिति पर वाद-विवाद (अस्वीकृत)	1—11
(ख) पलामू जिला में वाटर टावर द्वारा जलापूर्त्ति (वापस) ..	12—14
श्री रामानन्द तिवारी के अनशन से उद्भूत स्थिति	14—24
शोक प्रकाश :	
बिहार विधान-सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री विश्वनाथ राय की निर्मम हत्या पर शोकोद्गार।	24—28
दैनिक निबंध	29-30

टिप्पणी—जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधन नहीं किया है, उनके नाम के आगे (*) चिह्न लगा दिये गये हैं।

के खिलाफ अनशन कर रहे हैं। अगर इसपर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो हर माननीय सदस्य के साथ इस तरह की घटना घट सकती है। यह जनतांत्रिक सरकार है और जनतंत्र के खिलाफ काम कर रही है। सरकार चुपचाप सुनती रहे और कुछ कहे नहीं। सरकार जवाब दे, नहीं तो हम हाउस नहीं चलने देंगे।

श्री रामानन्द प्रसाद यादव—उपाध्यक्ष महोदय, श्री राम विलास सिंह जी ने जो सवाल

उठाया है उसकी अहमियत को सारा सदन महसूस कर रहा है। आपके आसन से यह आदेश हुआ जो प्रक्रिया है उसके आधार पर निर्धारित समय पर ही इस सवाल को उठाया जाय। ऐसे सवाल को 12 बजे जीरो आवर में उठाया जाना चाहिए। तो आपके निर्देश के बाद भी कुछ माननीय सदस्य या 5 माननीय सदस्य चाहें कि सदन की कार्रवाई नहीं चले तो यह बात तय हो जानी चाहिए कि इस सदन में पांच आदमियों की बात रहे या तमाम माननीय सदस्यों की बात रहे....

(इस अवसर पर सदन में काफी शोरगुल और विपक्षी दल के सदस्यगण भी बोलते पाये गये।)

श्री राम विलास सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, यह बात पांच आदमी की नहीं बल्कि

सारे सदन की बात है।

श्री कैलाशपति मिश्र—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामानन्द तिवारीजी आमरण

अनशन पर बैठे हुए हैं और परिस्थिति की गंभीरता से हम सभी लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। मैं जानता हूं और हमारे ऊपर भी जवाबदेही सौंपी गयी है। मैं अपने मित्रों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी भी माननीय सदस्य को श्री रामानन्द तिवारी जी के प्रति जितनी श्रद्धा है, मेरे हृदय में उनसे किसी भी हालत में कम श्रद्धा उनके प्रति नहीं है। हम स्वयं इसके लिये परेशान हैं। मैं आप सबों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज संध्या तक कोई-न-कोई निर्णय निकल जायेगा और श्री रामानन्द तिवारी जी अनशन तोड़ देंगे—ऐसा उनसे आग्रह किया जायेगा। इससे अधिक मैं अभी आपसे कुछ नहीं कह सकता हूं।

श्री राम विलास सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, तब तो सदन बन्द हो जायेगा।

(इस अवसर पर काफी शोरगुल।)

श्री कैलाशपति मिश्र—उपाध्यक्ष महोदय, सदन का सत्र रहे या नहीं रहे या सदन

सत्र में नहीं रहे, पूज्य रामानन्द तिवारी जी का स्थान और उनके सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक जीवन तथा उनका महत्त्व किसी भी कीमत पर हम भूला नहीं सकते हैं। इसलिये मैं माननीय सदस्यों को भरोसा दिलाना चाहता हूं और उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज शाम तक कोई-न-कोई रास्ता निकल जायेगा। माननीय सदस्य शांत रहें।

श्री राणा शिवलाखपति सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, एक चीज मैं जानना चाहता हूं मिश्र जी से, यह कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका निदान नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी संसद सदस्य ने सरकार को लिखा और....

(इस अवसर पर सदन में शोरगुल)

श्रीमती कौशल्या देवी—उपाध्यक्ष महोदय, जब बात समाप्त हो गयी तो समाप्त हो गयी। तो फिर उसपर चर्चा क्यों हो रही है?

श्री राणा शिवलाखपति सिंह—तो, मैं कह रहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कमिटी बना देने में क्या इतराज हो सकता है। मैं भी जनता पार्टी का सदस्य हूं, इस दल में बैठता हूं, मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि तीन दिनों से यह मसला चल रहा है और कैलाशपति मिश्र जी इसको लेकर बैठे हुए हैं। कलक्टर की बदली हो या नहीं हो यह उतना बड़ा सवाल नहीं है। लेकिन एक आदमी की जान खतरे में पड़ जाय और तीन दिनों तक प्रक्रिया ही चलती रहे तो मैं जानना चाहता हूं कि यह कौन-सी प्रक्रिया है। कलक्टर के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप है। आप किसी दो आदमी की कमिटी बना दीजिए, मामला खत्म कीजिये। कलक्टर की बदली हो जाय इसमें कौन बड़ा आसमान टूट जाता है। यह हमारी पार्टी की बात है, बड़े नेता की बात है। 6 करोड़ जनता इस बात को देख रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रश्न उठाया गया है और हमलोग कोई फैसला ले नहीं पाते हैं, यह शर्म की बात है। जनता पार्टी के लिये शर्म की बात है, हमारे नेता के लिये शर्म की बात और शर्म की बात है रामानन्द तिवारी जी के लिये।

उपाध्यक्ष—किसी के लिये शर्म की बात नहीं है।

श्री रामलखन सिंह यादव—उपाध्यक्ष महोदय, शर्म की बात नहीं है। उनके नेता के लिये शर्म की बात होनी चाहिए, उनकी पार्टी के लिये शर्म की बात होनी चाहिए लेकिन इस तरह से पार्टी-बन्दी करके यहां के प्रशासन को ये लोग बर्बाद कर रहे हैं यह गम्भीर बात है। इसलिये मैं कहूंगा कि कृपाकर आप इसको बर्बाद नहीं होने दीजिये। कलक्टर की बदली के लिये अनशन किया जाय और कहा जाय कि सदन नहीं चलने देंगे। मैं समझता हूं कि प्रशासन को भ्रष्ट करने का यह तरीका है। मैं तो कहना चाहता हूं कि अगर किसी को हिम्मत हो तो चाहे कलक्टर हो या एस०डी० ओ० हो, इसके लिये एक हाई पावर कमिटी बनाइये और इन्क्वायरी करके यदि वह दोषी हो तो उसकी बदली नहीं बल्कि उसको ससपेंड कीजिये लेकिन प्रशासन को कमजोर करने के लिये जो पार्टी-बंदी चल रही है उससे प्रशासन को कमजोर मत होने दीजिए। प्रशासन किसी एक पार्टी का नहीं है—प्रशासन समूचे प्रदेश का है। इस तरह से डिमोरलाइज करके प्रशासन मत कीजिए, माननीय सदस्य से मेरा यही आग्रह है।

श्री मुन्द्रिका सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सवाल पर कुछ नहीं बोलना चाहता था। लेकिन माननीय सदस्य श्री रामलखन सिंह यादव का जो विचार सुना तो मैं कहना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले नालंदा के जिलाधिकारी जो छुट्टी में थे, उनका ट्रांसफर हुआ और उनके स्थान पर जो एक्टिंग डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे रामलखन बाबू के कहने पर उनकी भी बदली हुई। वहां जो कांड हुआ उसके लिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जवाबदेह नहीं थे, इसके बावजूद भी डी०एम० को बदला गया। वे एक महीना की छुट्टी में थे।

श्री कैलाशपति मिश्र—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि किसी भी पदाधिकारी या कर्मचारी, उसका स्थानांतरण हम करेंगे या नहीं करेंगे यह तो प्रशासन का काम है। सदन के सदस्यों ने अपनी-अपनी भावना प्रकट कर दी है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पदाधिकारियों के स्थानांतरण के ऊपर सदन में चर्चा नहीं हो।

श्री मुन्द्रिका सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं यह कह रहा था कि रामलखन बाबू जैसे अनुभवी नेता जो चार दिन पहले या एक सप्ताह पहले इसी सदन में डी०एम० के तबादले के संबंध में आवाज उठायी थी, जो डी०एम० छुट्टी में थे, उनका तबादला किया गया और जब आज इसी तरह से तबादला हो रहा है तो ये दूसरी भाषा में बात कर रहे हैं। यह कौन-सा स्टैंडर्ड है मुझे समझ में नहीं आती है। दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, हम जैसे कार्यकर्त्ता के प्रेस्टीज का सवाल है सिर्फ रामानन्द तिवारी जी का सवाल नहीं है। इसलिये कार्रवाई न हो कि औफिसरों से हमारा डिफरेंस हो सकता है, मतभेद होता है और हम अभियोग भी लगाते हैं और इसपर सारे औफिसर्स ट्रेड यूनियन की तरह बैठकर जिलाधीश की अध्यक्षता में राजनीतिक कार्यकर्त्ता के खिलाफ प्रस्ताव पास करे, निन्दा करे तो हम बैठे नहीं रह सकते हैं।

श्री रामानन्द प्रसाद यादव—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। आपके निदेशानुसार हमारे वित्त मंत्री ने माननीय संसद सदस्य श्री रामानन्द तिवारी जी के अनशन से उठी स्थिति के बारे में साफ कह दिया और उन्होंने हाउस को आश्वासन दिया कि कोई-न-कोई रास्ता निकल जायेगा तब फिर उस मसले को उठाकर हाउस का समय बर्बाद करने का हक किसी भी माननीय सदस्य को है क्या?

श्री मुन्द्रिका सिंह—यह सिर्फ अनशन का प्रश्न नहीं है बल्कि हमलोगों की प्रतिष्ठा का सवाल है। कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट औफिसरों की मीटिंग बुलाकर हमलोगों के विरुद्ध कंडेमनेशन का प्रस्ताव पास करे और हमलोगों को कंडेम करे और यह हमारी सरकार चुप बैठी रहे। आखिर हमारी भी प्रतिष्ठा है। हमें किसी से किसी बिन्दु पर मतभेद हो सकता है लेकिन वहां के जिलाधीश महोदय औफिसरों की मीटिंग बुलाकर, बैठाकर हमपर कंडेमनेशन का प्रस्ताव पास करे और हमारी निन्दा करे, हमें कंडेम करे। यह दुःख की बात है कि आज सदन में माननीय सदस्य भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त कर

रहे हैं। कल जब इनपर कंडेमनेशन का प्रस्ताव पास होगा तब ये क्या करेंगे, क्या चुप बैठे रहेंगे? हमलोग जनता के प्रतिनिधि हैं, हमलोग सामाजिक कार्यकर्त्ता हैं, हमारी भी प्रतिष्ठा है और हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है और हमारी प्रतिष्ठा को बचाने का हक आपको है।

उपाध्यक्ष—इसका निराकरण तो इन्हीं लोगों को करना है।

श्री मुन्द्रिका सिंह—इनलोगों को ही निराकरण करना है लेकिन नहीं कर रहे हैं। कल नालन्दा का डी०एम० जो छुट्टी में था और जो ऐक्टींग था उसकी बदली भी एक आदमी के कहने पर की गयी।

उपाध्यक्ष—इसमें आसन से आपको क्या प्रोटेक्शन मिलेगा?

श्री रामलखन सिंह यादव—माननीय सदस्य कृपया प्रोसिडिंग पढ़कर देख ले और अपनी बातों को सुधार लें हमारे ऊपर चार्ज लगाने के पहले। चूंकि नालन्दा के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का कोई कसूर नहीं था और उसका तबादला कर दिया गया। मैंने जो कुछ कहा है उसको मैं दोहराना चाहता हूं। आप प्रोसिडिंग पढ़िये। मैंने कहा...।

श्री मुन्द्रिका सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, आप निकालिये प्रोसिडिंग और इन्होंने जो कुछ कहा है उसको पढ़िये।

श्री रामलखन सिंह यादव—मैंने कहा था कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट छुट्टी में था उसका तबादला कर दिया। इसके लिये मैं प्रोटेस्ट करता हूं। जो डी०एम० चार्ज में था जो इंक्वायरी किया उसका नहीं और जो डी०एम० छुट्टी में था और इंक्वायरी नहीं किया उसका तबादला कर दिया। इसीलिये मैं प्रोटेस्ट करता हूं। मैं जनता पार्टी के बारे में या उसकी अंदरुनी मामलों के बारे में कुछ नहीं कहता हूं। लेकिन माननीय संसद सदस्य श्री रामानन्द तिवारी अनशन पर हैं। उस दिन मैंने भी उनको रोका। इसकी एक उच्चस्तरीय इंक्वायरी हो। चाहे संसद सदस्य हों या यहां के सदस्य हों अगर उनपर किसी भी तरह का ऑफिसर आक्षेप करता है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और उसे सजा मिलनी चाहिए।

श्री कपिलदेव सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न माननीय सदस्य मुन्द्रिका बाबू ने उठाया है, मैं समझता हूं, सारे सदन की यह भावना है, सदन की भावना सर्वोपरि है और उनकी प्रतिष्ठा सर्वोपरि है। सरकार की मंशा कतई नहीं है कि माननीय सदस्यों की प्रतिष्ठा पर आघात हो। लेकिन सरकार चलाने की पद्धति में कुछ दिक्कतें होती हैं, उसको ध्यान में रखकर जैसाकि वित्त मंत्री ने कहा माननीय तिवारी जी की प्राण-रक्षा और सदन के माननीय सदस्यों की प्रतिष्ठा सबों को दृष्टि में रखकर काम किया जा रहा है और किया जायगा। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे